आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
04/07/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 रिवीजन 19/2018** **बहादुर साव एवं अन्य बनाम् राज्य तथा फ्रांसिस टोप्पो** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील क्रमांक–271–R15/2014-15 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या–427/2012–13 में खाता नम्बर–113, प्लॉट नम्बर–299, रकबा–12 कट्ठा, ग्राम–कमड़े को मुआवजा भुगतान के आधार पर विनियमित करने का आदेश पारित किया गया था। आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि वर्ष–1946 में उनके पूर्वजों द्वारा मौखिक बिक्री से क्रय की गयी थी, अतः उक्त भूमि पर उनका अवैध दखलकार के रूप में साबित होता है। प्रश्नगत् भूमि पर उनका मकान निर्मित है, जिस कारण विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा उन्हें मुआवजा भुगतान के आधार पर विनियमन का आदेश पारित किया गया। उपायुक्त द्वारा स्वयं प्रेरणा से सुनवाई करते हुये उक्त आदेश को रद्द किया गया है, जो अनुचित है। प्रश्नगत् वाद में पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के पश्चात् से ही आवेदक न्यायालय में नियमित रूप से अनुपस्थित रहे हैं। अंततः आवेदक की तरफ से हाजिरी दिनांक–27.12.2021 को दर्ज की गयी। उनके पक्ष को सुना गया तथा उन्हें प्रश्नगत् भूमि पर उनके दखल एवं वर्ष–1969 के पूर्व निर्माण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त तिथि के बाद से ही आवेदक लगातार अनुपस्थित रहें। किसी भी तिथि को आवेदक के तरफ से न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा गया। दिनांक–24.01.2022, 21.04.2022, 28.04.2022, 20.06.2022 तथा 27.06.2022 को लगातार मौका देने के बाद भी ऐसे कोई साक्ष्य अथवा तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये तथा वे न्यायालय से अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के एवं साक्ष्यों का	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	उचित अध्ययन एवं आंकलन किये बगैर प्रश्नगत् भूमि पर वर्ष–1969 के पूर्व निर्माण होने का निष्कर्ष निकाला गया एवं उक्त निष्कर्ष के उपरान्त मुआवजा भुगतान के आधार पर भूमि को विनियमित कर दिया गया। यह सम्पूर्ण कार्रवाई आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को विनियमन करने हेतु मिलीभगत से की गयी कार्रवाई थी। उपायुक्त न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् स्थल का निरीक्षण भी कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि पर किये गये निर्माण निकट काल में ही किये गये थे। इस प्रकार निम्न न्यायालयों द्वारा मिली भगत से पारित आदेश को आदेश जो कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था, उपायुक्त न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इस न्यायालय में आवेदकों का आचरण पूर्णत असहयोगात्मक रहा है तथा वे लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है। स्पष्टतः वे मात्र इस विषय को न्यायिक प्रक्रिया में लम्बित रखना चाहते है, जिससे कि आदिवासी भूमि पर उनकी दखल कायम रहें। आवेदकों के पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे कि प्रश्नगत् भूमि पर उनके द्वारा वैधानिक रूप से हस्तांतरित किये जाने एवं Schedule Area Regulation-1969 के पूर्व उक्त भूमि पर समुचित निर्माण होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध हो। प्रश्नगत् भूमि के एक हिस्से पर निर्माण निकट समय में ही किये गये है तथा शेष भूमि खाली है, जैसा कि अपीलीय न्यायालय के जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ। आवेदक द्वारा लगातार मौका देने के बाद भी कोई साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित नहीं किये गये। प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन 210 दिन के विलम्ब से दायर किया गया है, जिसके लिये आवेदकों के द्वारा शहर के बाहर रहने का हवाला दिया गया है, जो समुचित नहीं है। वर्णित परिस्थिति में विलम्ब से दायर इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। आवेदक उनके द्वारा भुगतान की गयी मुआवजे की राशि को वसूली हेतु स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI Date: 2022.08.24 13:13:38 +05:30 Location: 192.168.1.40 प्रमण्डलीय आयुक्त	